R.No. MAHHIN/2004/14131
Regd. No. MH/MR/South-29/2006-08

खण्ड III ◆ अंक 9
मार्च 2007

मोनेटरी एण्ड क्रेडिट इन्फ़र्मेशन रिव्यू

बैंकिंग नीति

ऋण आवेदनपत्रों पर अधिक पारदर्शक कार्रवाई

ऋण आवेदनपत्रों पर की जाने वाली कार्रवाई में अधिक पारदर्शिता लाने की दृष्टि से रिज़र्व बैंक ने सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों और अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों को सूचित किया है कि सभी प्रकार के ऋण आवेदनपत्रों के फार्मों में दी गई जानकारी व्यापक रूप में होनी चाहिए भले ही उधारकर्ता ने कितनी ही राशि का उधार मांगा हो। फार्म में प्रोसेसिंग हेतु देय शुल्क/प्रभार (यदि हो), आवेदनपत्र अस्वीकार किया जाता है तो लौटाई जाने वाली राशि, समय-पूर्व भुगतान या उधारकर्ता के हित को प्रभावित करने वाले अन्य मामलों की जानकारी का समावेश किया गया जाना चाहिए। इससे उधारकर्ता अन्य बैंकों के साथ सार्थक तुलना करके सोच-समझकर अपना निर्णय ले सकेगा। बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को सूचित किया गया है कि वे अपने निदेशक मंडल के अनुमोदन से इस संबंध में एक पारदर्शक नीति बनाएं।

किसी भी प्रकार के ऋण मामलों में, जिसमें क्रेडिट कार्ड भी शामिल है, भले ही आरंभिक सीमा कुछ भी हो, यदि ऋण आवेदनपत्र अस्वीकार किया जाता है तो बैंकों/वित्तीय संस्थाओं को चाहिए कि वे लिखित रूप में बताएं की किस मुख्य कारण/किन कारणों से बैंक/वित्तीय संस्था ने ऋण आवेदनपत्र अस्वीकार किया है।

बैंकों/वित्तीय संस्थाओं को सूचित किया गया है कि वे अपने उचित व्यवहार संहिता में 30 अप्रैल 2007 तक अपने बोर्ड के अनुमोदन से आवश्यक संशोधन कर लें। संशोधित उचित व्यवहार संहिता को बैंक/वित्तीय संस्था की वेबसाइट पर रखा जाना चाहिए और उसका व्यापक प्रसार किया जाना चाहिए।

अंतर बैंक देयताओं की विवेकपूर्ण सीमाएं

बैंकों में देयता पक्ष की ओर केंद्रीकरण को कम करने की दृष्टि से रिज़र्व बैंक ने निम्नलिखित मानदंड निर्धारित किए हैं -

(क) किसी भी बैंक की अंतर बैंक देयता उसकी पिछले वर्ष की निवल मालियत के 200 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चहिए। किंतु, बैंक अपने व्यवसाय प्रतिमानों को ध्यान में रखते हुए अपने निदेशक मंडल के अनुमोदन से अपनी अंतर बैंक देयता के लिए न्यूनतम सीमा निर्धारित कर सकते हैं।

(ख) जिन बैंकों का सीआरएआर (जोखिम भारित परिसंपत्ति की तुलना में पूंजी का अनुपात) पिछले वर्ष की 31 मार्च को न्यूनतम सीआरएआर (9 प्रतिशत) से 25 प्रतिशत अधिक है, अर्थात् 11.25 प्रतिशत है, वे अंतर बैंक देयताओं के लिए अपनी निवल मालियत का 300 प्रतिशत तक अधिकतम सीमा के रूप में रख सकते हैं।

(ग) अंतर बैंक देयताओं से संबंधित यह सीमा केवल भारत के भीतर की निधि के लिए है (इसमें भारत में कार्यरत बैंकों की विदेशी मुद्रा में अंतर बैंक देयता भी शामिल है)। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो भारत के बाहर की अंतर बैंक देयताएं इस सीमा से बाहर हैं।

(घ) उपर्युक्त सीमा में सीबीएलो के अंतर्गत लिया गया संपार्श्विक ऋण और नाबार्ड, सिडबी आदि से लिया गया पुनर्वित्त शामिल नहीं है।

(ङ) रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित मांग मुद्रा उधार की वर्तमान सीमा उक्त सीमाओं के भीतर उप-सीमा के रूप में होगी।

(च) जिन बैंकों के पास थोक में जमाराशियां केंद्रित हैं उन्हें चाहिए वे ऐसी जमाराशियों में निहित जोखिम से सचेत रहें और ऐसी जमाराशियों पर अधिक निर्भरता के कारण उभरने वाली चलनिधि जोखिम से बचने के लिए उचित नीतियां निर्धारित करें।

ये दिशानिर्देश 1 अप्रैल 2007 से लागू होंगे। जो बैंक 1 अप्रैल 2007 से ये दिशानिर्देश लागू नहीं कर सकते वे अपनी एक योजना बनाकर रिज़र्व बैंक को अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करेंगे जिसमें उल्लेख होगा कि वे किस तारीख से उक्त दिशानिर्देश लागू कर पाएंगे।

विषय सूची

	पृष्ठ
बैंकिंग नीति	
ऋण आवेदनपत्रों पर पारदर्शक कार्रवाई	1
अंतर बैंक देयताओं की विवेकपूर्ण सीमाएं	1
किसान विकास पत्रों की खरीद के लिए बैंक ऋण न दें	2
एजेंसी कमीशन - लोक भविष्य निधि/वरिष्ठ नागरिक बचत योजना	2
गैर-चेस्ट शाखाओं के सेवा प्रभार में वृध्दि	2
सीआरआर की छूट के लिए मांग और मीयादी देयताओं की श्रेणियां	2
आवश्यक आरक्षित नकदी निधि अनुपात	2
सूचना	
आरक्षित नकदी निधि अनुपात जमाराशियों पर ब्याज का भुगतान	3
विदेशी मुद्रा	
निर्यात और आयात प्रक्रियाओं का उदारीकरण	4

किसान विकास पत्रों की खरीद के लिए बैंक ऋण न दें

रिज़र्व बैंक ने बैंकों को सूचित किया है कि वे किसान विकास पत्र जैसे लघु बचत लिखत खरीदने/उनमें निवेश करने के लिए ऋण मंजूर न करें।

रिज़र्व बैंक के ध्यान में ऐसी कुछ घटनाएं आई हैं जिनमें बैंकों ने किसान विकास पत्र खरीदने के लिए व्यक्तियों, अधिकांशत: उच्च निवल मालियत रखने वाले व्यक्तियों को ऋण मंजूर किए हैं। उच्च निवल मालियत रखने वाले व्यक्तियों को पहले किसान विकास पत्र में प्रस्तावित निवेश राशि के अंकित मूल्य की 10 प्रतिशत राशि जमा करने के लिए कहा गया और निवेश की शेष 90 प्रतिशत राशि ऋण के रूप में किसान विकास पत्र खरीदने के लिए अदा की गई। उधारकर्ता के नाम पर किसान विकास पत्र खरीदे जाने के बाद उन्हें बैंक के पास गिरवी रखा गया।

एजेंसी कमीशन - लोक भविष्य निधि/ वरिष्ठ नागरिक बचत योजना

भारत सरकार और कुछ चुनिंदा बैंकों के साथ विचार-विमर्श करके यह निर्णय लिया गया है कि लोक भविष्य निधि योजना, 1968 (पीपीएफ) और वरिष्ठ नागरिक बचत योजना, 2004 (एससीएसएस) के अंतर्गत बैंकों को जमाराशियों के लेनदेन हेतु दिया जानेवाला पारिश्रमिक केवल एक माध्यम से दिया जाए। रिज़र्व बैंक इन लेनदेनों पर एजेंसी कमीशन का भुगतान निम्न प्रकार करेगा -

लेनदेन का प्रकार	**दर** (रुपये में)
प्राप्तियाँ	45 रुपये प्रति लेनदेन
भुगतान	प्रति 100 रुपये के लेनदेन के लिए 9 पैसे

ये दरें लोक भविष्य निधि संबंधी लेनदेनों के लिए 1 जुलाई 2005 और वरिष्ठ नागरिक बचत योजना संबंधी लेनदेन के लिए 1 अप्रैल 2006 से लागू होंगी। दरों में इस संशोधन के साथ भारत सरकार लोक भविष्य निधि और वरिष्ठ नागरिक बचत योजना प्रबंधन के लिए पारिश्रमिक देना बंद कर देगी।

इन दोनों योजनाओं के अंतर्गत जमाराशियां जुटाने के लिए लघु बचत एजेंटों को स्रोत पर दिये जानेवाले कमीशन की वर्तमान व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होगा और कमीशन की प्रतिपूर्ति सरकार द्वारा की जाती रहेगी।

गैर-चेस्ट शाखाओं के सेवा प्रभार में वृध्दि

रिज़र्व बैंक ने 1 अप्रैल 2007 से करेंसी चेस्ट धारक बैंकों को गैर-चेस्ट बैंक शाखाओं द्वारा नकद राशि जमा करने पर *सेवा प्रभार* की राशि को बढ़ा कर एक रुपया प्रति पैकेट (100 नग) से दो रुपये प्रति पैकेट करने की अनुमति प्रदान की है। संबद्ध बैंकों को सेवा प्रभार में वृद्धि की पूर्व सूचना दी जाए।

सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को भारतीय रिज़र्व बैंक विप्रेषण सुविधा योजना के अंतर्गत निधि के अंतरण के लिए नकद राशि जमा करने हेतु दी जानेवाली छूट जारी रहेगी।

सीआरआर की छूट के लिए मांग और मीयादी देयताओं की श्रेणियां

★ भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 (1) के अंतर्गत दिए गए स्पष्टीकरण के खंड (घ) में उल्लिखित भारतीय बैंकिंग प्रणाली के प्रति देयताएं;

★ एशियाई समाशोधन यूनियन (डॉलर) खातों की जमाराशियां;

★ भारतीय समाशोधन निगम (सीसीआईएल) से संबंधित सीबीएलओ लेनदेन; और

★ बैंकों की अपतटीय बैंकिंग यूनिटों से संबंधित मांग और मीयादी देयताएं।

यह छूट उन बैंकों को दी गई हैं जो अपनी कुल मांग और मीयादी देयताओं की 3 प्रतिशत राशि न्यूनतम सांविधिक सीआरआर के रूप में रखते हैं।

आवश्यक आरक्षित नकदी निधि अनुपात

जून 2006 में भारतीय रिज़र्व बैंक (संशोधन) अधिनियम लागू किया गया। इस अधिनियम के लागू हो जाने से रिज़र्व बैंक ने 22 जून, 2006 को निम्नलिखित निर्णय लिए -

(i) अनुसूचित बैंकों के सीआरआर दर और वर्तमान छूट में कोई परिवर्तन न किया जाए (कृपया निम्नलिखित बॉक्स देखें)

(ii) 3 प्रतिशत की न्यूनतम सांविधिक सीआरआर की सीमा को हटाया जाए; और

(iii) 24 जून 2006 से शुरू होने वाले पखवाडे से अनुसूचित बैंकों द्वारा रखे गए पात्र सीआरआर शेषों पर ब्याज देना बंद कर दिया जाए।

दिनांक 9 जनवरी 2007 के विशेष गज़ट अधिनियम सं.एस.ओ.21(ई) के अनुसार 9 जनवरी 2007 की तारीख सभी प्रावधानों को लागू करने के लिए अधिसूचित की गई है। भारतीय रिज़र्व बैंक (संशोधन) अधिनियम 2006 की धारा 3 का इसमें समावेश नहीं है।

भारतीय रिज़र्व बैंक (संशोधन) अधिनियम 2006 की धारा 3 के अंतर्गत निम्नलिखित प्रावधानों को समाप्त कर दिया गया है -

- देश की मौद्रिक स्थिरता को सुनिश्चित करने के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित की जानेवाली सीआरआर की न्यूनतम और अधिकतम सीमा; और
- पात्र सीआरआर जमाराशियों पर ब्याज की अदायगी (अर्थात् न्यूनतम सांविधिक सीआरआर और रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित सीआरआर के बीच अंतर की जमाराशि।)

चूंकि धारा 3 को अभी अधिसूचित नहीं किया गया है इसलिए सरकार के साथ परामर्श करके यह निर्णय लिया गया है कि -

(i) भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(1) में किए गए वर्तमान प्रावधानों के अनुसार बैंकों की मांग और मीयादी देयताओं की न्यूनतम 3 प्रतिशत और अधिकतम 20 प्रतिशत की सीआरआर सीमा को बरकरार जाए।

(ii) उन बैंकों को दण्ड स्वरूप ब्याज का भुगतान करने से छूट दी जाए जिन्होंने 22 जून 2006 और 2 मार्च 2007 के बीच मांग और मीयादी देयताओं के लिए सीआरआर की न्यूनतम 3 प्रतिशत की आवश्यकता का सीआरआर छूट के कारण उल्लंघन किया था; और

(iii) संक्रमणकाल के दौरान पात्र सीआरआर जमाराशियों पर ब्याज का भुगतान निम्नप्रकार किया जाए -

ब्याज दर *(प्रतिशत में)*	**अवधि**
3.5	24 जून से 8 दिसंबर 2006
2.0	9 दिसंबर 2006 से 16 फरवरी 2007
1.0	17 फरवरी 2007 से अगली सूचना तक

सूचना

आरक्षित नकदी निधि अनुपात जमाराशियों पर ब्याज का भुगतान

वर्तमान स्थिति

भारतीय रिज़र्व बैंक पात्र आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) जमाराशियों पर वर्ष 1973 से ब्याज का भुगतान करता रहा है। पात्र जमारशियों को अपेक्षित राशि बनाए रखने और निवल मांग तथा मीयादी देयताओं (एनडीटीएल) पर 3.0 प्रतिशत आरक्षित नकदी निधि अनुपात की सांविधिक न्युनतम राशि के अंतर के रूप में पारिभाषित किया गया है। संशोधन के समय अर्थात् 22 जून 2006 तक निर्धारित आरक्षित नकदी निधि अनुपात निवल मांग और मीयादी देयताओं का 5.0 प्रतिशत था। इस प्रकार बैंक पात्र शेषों पर 3.5 की दर से ब्याज प्राप्त करते थे जिसे 5.0 प्रतिशत निवल मांग और मीयादी देयताओं में से 3.0 प्रतिशत निवल मांग और मीयादी देयताओं जिसे सांविधिक न्युनतम आरक्षित नकदी निधि अनुपात कहा जाता है को घटा कर गणना की जाती थी। 3.0 प्रतिशत की सांविधिक न्युनतम अपेक्षा और भारतीय रिज़र्व बैंक के पास आरक्षित नकदी निधि अनुपात के आधिक्य पर कोई ब्याज देय नहीं हैं। तथापि, बैंकों को 3.0 प्रतिशत के न्यूनतम सांविधिक अपेक्षा बनाए रखने के अधीन आरक्षित नकदी निधि अनुपात से कई छूट जैसे कि 14 दिन तक अंतर बैंक देयताएं संपार्श्विक उधार और उधार देयताएं (सीबीएलओ), एशिया समाशोधन संघ (एसीयू) लेनदेन और विदेशी बैंकिंग इकाईयों (ओबीयू) प्राप्त हैं। एक वर्ष की परिवक्वता के लिए 15 दिन की अंतरबैंक देयताओं को निवल मांग और मीयादी देयताओं की गणना से संपूर्ण रूप से छूट प्राप्त थी। इन छूट को देखते हुए पात्र आरक्षित नकदी निधि अनुपात शेषों पर प्रभावी ब्याज दर 14.0 प्रतिशत तक परिगणित किया गया।

भूमिका

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम की धारा 42(1) के अनुसार रिज़र्व बैंक अनुसूचित बैंकों के लिए उनकी कुल मांग और समय देयताओं के 3.0 प्रतिशत से 20.0 प्रशित के बीच आरक्षित नकदी निधि अनुपात निर्धारित कर सकता है। सन 1970 के दशक में आरक्षित नकदी निधि अनुपात को अंतर्राष्ट्रीय तेल की किमतों के झटकों से उत्पन्न मुद्रा स्फीति कारक दबावों को रोक रखने के लिए मौद्रिक नीति के एक लिखत के रूप में सक्रिय रूप से लागू किया गया था जबकि आरक्षित नकदी निधि अनुपात का स्तर अनुकूल था। धीरे-धीरे यह 1973 में 5.0 प्रतिशत से बढ़कर 1980 तक 6.0 प्रतिशत हो गया। रिज़र्व बैंक ने वर्ष 1973 से बैंकों की लाभप्रदता में होती हुई कमी को पूरा करने के लिए पात्र आरक्षित नकदी निधि अनुपात शेषों पर ब्याज का भुगतान करना शुरू किया। प्रारंभ में ब्याज दर प्रति वर्ष 4.75 प्रतिशत थी जो 1970 के दशक के अंत में धीरे-धीरे बढ़कर 7.0 प्रतिशत हो गई।

1980 के दशक में राजकोषीय घाटे के मौद्रिकरण का मौद्रिक नीति के संचालन पर प्रभाव बढ़ने लगा जिसे प्राथमिक बजट वित्तीय सहायता द्वारा जोड़ते हुए मौद्रिक विस्तार के दूसरे दौर में पूरा करना पड़ा। परिणामस्वरूप मौद्रिक नीति के प्रमुख साधन के रूप में सीआरआर का महत्व बढ़ गया और धीरे-धीरे बढ़ते हुए यह 1992 में 15 प्रतिशत तक पहुंच गया। इसके अलावा 1983 से 1992 तक अतिरिक्त निवल मांग और मीयादी देयताओं (आधार तारीख से) पर 10 प्रतिशत सीआरआर अलग से निर्धारित किया गया। इसी अवधि में पात्र सीआरआर शेषों पर ब्याज दर धीरे-धीरे 8 प्रतिशत से 10 प्रतिशत प्रति वर्ष तक बढ़ाना पड़ा।

इस मोड पर यह तीव्रता से महसूस किया गया कि बैंकिंग प्रणाली पर सीआरआर का असर दंडात्मक शुल्क के रूप में पड़ रहा है क्योंकि शेषों का उपयोग योग्य तरीके से नहीं हो पा रहा था और परिणामस्वरूप बैंकों की लाभप्रदता पर प्रतिकूल असर पड़ रहा था। इस प्ररिप्रेक्ष्य में (श्री एम.नरसिम्हन की अध्यक्षता में गठित) वित्तीय प्रणाली समिति-1991 के निम्नलिखित विचार थे -

जहां तक आरक्षित नकदी निधि अनुपात का प्रश्न है रिज़र्व बैंक के पास मौद्रिक नीति के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए इस प्रकार के साधन के उपयोग की छूट होनी चाहिए। समिति का यह मानना है कि यदि सरकार राजकोषीय घाटा कम करने का संकल्प करती है तो ऋण के द्वितीयक विस्तार पर नियंत्रण रखने के लिए सीआरआर के उपयोग को कम करना होगा। अत: समिति का यह सुझाव है कि रिज़र्व बैंक सीआरआर के वर्तमान उच्च स्तर को धीरे-धीरे नीचे लाए। ब्याज दरों पर से नियंत्रण हटा देने से एक ओर रिज़र्व बैंक खुले बाजार परिचालन का अधिक उपयोग कर सकेगा, तो दूसरी ओर सीआरआर में परिवर्तन करने की अधिक आवश्यकता नहीं रहेगी। समिति का यह सुझाव है कि बैंकों द्वारा एसएलआर निवेश और सीआरआर के रूप में रखी गई न्यूनतम मूल जमाराशियों से अधिक की जमाराशियों के लिए ब्याज दर बढ़ाया जाना चाहिए।

कालांतर में सीआरआर का स्तर धीरे-धीरे किंतु लचीलापन अपनाते हुए 5.0 प्रतिशत तक नीचे लाया गया। अतिरिक्त सीआरआर को 1993 से समाप्त कर दिया गया। पात्र नकदी शेषों पर द्वि-स्तरीय सूत्र के अंतर्गत 10.5 प्रतिशत ब्याज अदा किया जाता था जिसमें से अतिरिक्त निवल मांग और मीयादी देयताओं के सीआरआर पर कम ब्याज दिया जाता था। 1990 में यह ब्याज दर 8.0 प्रतिशत प्रतिवर्ष थी जिसे 1992 में घटा कर 3.0 प्रतिशत कर दिया गया और अंत में उसी वर्ष समाप्त कर दिया गया। अतिरिक्त सीआरआर पर शून्य ब्याज हो जाने पर और अतिरिक्त निवल मांग और मीयादी देयताओं पर सीआरआर समाप्त कर देने के बाद पात्र सीआरआर शेषों पर 3.5 प्रतिशत ब्याज दर प्रभावी हुआ। अत: उसे औचित्यसंगत बनाने की दृष्टि से सीआरआर शेषों पर 4.0 प्रतिशत ब्याज दर निर्धारित किया गया। इससे सीआरआर जमाराशियों पर मिलने वाले प्रतिफल में सुधार हुआ क्योंकि संशोधित ब्याज दर समूची जमाराशियों के लिए लागू था।

औचित्य स्थापन का दूसरा दौर 2001 में चला जिसमें मौद्रिक नीति के लिए मध्यावधि संकेत दर के रूप में बैंक दर को पुन: सक्रिय बनाया गया। वर्ष 2001-02 के मौद्रिक और ऋण नीति वक्तव्य (गवर्नर डॉ. विमल जालान) में पात्र सीआरआर शेषों की ब्याज दर को दो चरणों में बैंक दर के अनुरूप बनाया गया और यह घोषित किया गया कि मध्यावधि उद्देश्य के अंतर्गत सीआरआर को उसकी न्यूनतम सांविधिक आवश्यकता के स्तर तक लाया जाएगा।

चलनिधि समायोजन सुविधा पर गठित आंतरिक समूह ने दिसंबर 2003 में सिफारिश की कि "सीआरआर में काफी हद तक कमी लाने, अर्थव्यवस्था के समूचे ब्याजदर ढांचे में उल्लेखनीय गिरावट होने और बाजार के विविध खंडों में व्यापक अंतर संबंध स्थापित हो जाने के फलस्वरूप बाजार सहभागियों की जो चलनिधि आवश्यकता बढ़ी है उससे यह प्रतीत होता है कि बैंकों पर जिस प्रकार पहले सीआरआर का असर दंडात्मक शुल्क के रूप में होता था उसमें अब काफी कमी आई है। इसलिए नकदी जमाराशियों पर बैंक दर से ब्याज देना न्यायसंगत नहीं लगता। सीआरआर पर यदि ब्याज दिया जाता है तो उसे बैंक दर के साथ नही जोड़ा जाना चाहिए, बल्कि उसे रिपो दर से कम दर पर रखा जाना चाहिए।" तदनुसार सितंबर 2004 से सीआरआर जमाराशियों की ब्याज दर घटा कर 3.5 प्रतिशत कर दी गई और 24 जून 2006 को उसे समाप्त कर दिया गया।

भारत में सीआरआर का स्तर और उस पर दिए जाने वाले ब्याज का मामला 1990 के प्रारंभ से ही चर्चा में रहा। वर्ष 1992-93 की दूसरी छमाही के मौद्रिक वक्तव्य में भी इसका उल्लेख आया है (गवर्नर श्री एस.वेंकटरमण): "सीआरआर पर ब्याज अदा करने पर उसका महत्व कम हो जाता है। अपेक्षित मौद्रिक प्रभाव के लिए सीआरआर का स्तर ऊंचा रखना आवश्यक होगा यदि उस पर ब्याज दिया जा रहा हो। सीआरआर का स्तर ऊंचा रखकर ब्याज देने के बजाय सीआरआर का स्तर कम रखकर ब्याज न देना अधिक उचित रहेगा। प्रभावी आरक्षित नकदी निधि अनुपात में कमी की वजह से एक तृतीयांश अवरुद्ध नकद राशि उपयोग के लिए उपलबध हो गई है। अत: नकदी शेष पर दिए जाने वाले ब्याज पर पुर्नविचार करना जरूरी है।"

बिना पूर्वभुगतान के डाक से भेजने के लिए लाइसेंस संख्या **South - 19/2006-08** **Regd. No. MH/MR/South-29/2006-08**
प्रत्येक महीने कार्य दिवस के अंतिम दो दिन को मुंबई पत्रिका चॅनल छँटनी ऑफिस - GPO से प्रेषित

विदेशी मुद्रा

निर्यात और आयात प्रक्रियाओं का उदारीकरण

बाह्य व्यापार को सरल बनाने और प्रधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंकों को और अधिक सुविधा प्रदान करने के लिए आयात और निर्यात तथा विदेशी मुद्रा खातों के क्षेत्र में कुछ छूट दी है जो इस प्रकार है:

निर्यात

निर्यात प्राप्ति की वसूली के लिए अधिक समय

प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक अब निर्यात बिल के मूल्य पर ध्यान दिए बिना निर्यात प्राप्ति की वसूली अवधि को निर्यात की तारीख से 6 महीने से अधिक की अवधि के लिए बढ़ा सकते हैं। यह अवधि एक बार में केवल छः महीनों के लिए बढ़ाई जा सकती है बशर्ते -

(क) बीजक में दर्शाया गया निर्यात लेनदेन प्रवर्तन निदेशालय/केंद्रीय जांच ब्यूरो या अन्य किसी जांच एजंसी द्वारा जांच के अधीन न हो;

(ख) प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक इस बात से संतुष्ट हों कि निर्यातक उनके नियंत्रण से बाहर के कारणों से निर्यात प्राप्तियों की वसूली नहीं कर पाया है।

(ग) निर्यातक घोषणा प्रस्तुत करता है कि विस्तारित अवधि के दौरान निर्यात प्राप्तियों की वसूली की जाएगी।

(घ) निर्यात की तारीख से एक वर्ष से अधिक विस्तार अवधि पर विचार करते समय यह देखा जाना चहिए कि निर्यातक का कुल बकाया एक मिलियन अमरीकी डॉलर अथवा पिछले 3 वित्तीय वर्षों के दौरान औसत निर्यात वसूली के 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो, से अधिक नहीं है।

स्वीकृत की गई विस्तार की तारीख एक्सओएस विवरण के ठटिप्पणीड स्तंभ में दर्शाई जानी चहिए।

ऐसे मामलों में जहां निर्यातक ने विदेश में क्रेता के खिलाफ मुकदमा दायर किया है, संबंधित राशि/ बकाया पर ध्यान दिए बगैर विस्तारित अवधि स्वीकृत की जाए। जो मामले उपर्युक्त श्रेणी में नहीं आते उन्हें रिज़र्व बैंक के पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता होगी ।

इसके पहले प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक कुछ मामलों में निर्यात बीजक का मूल्य एक मिलियन अमरीकी डॉलर या समकक्ष राशि से कम होने पर निर्यात प्राप्ति वसूली की अवधि छः महीने से अधिक किंतु एक बार में तीन महीनों की अवधि के लिए बढ़ा सकते थे।

वसूल न किए गए निर्यात बिलों को बट्टे खाते डालना

हैसियतवाले निर्यातक (i) पिछले 3 कैलण्डर वर्ष के दौरान उनकी औसत वर्षिक वसूली के 5 प्रतिशत की सीमा तक या (ii) वित्त वर्ष के दौरान प्राप्त होने वाली निर्यात प्राप्ति की 10 प्रतिशत राशि, जो भी अधिक हो, बट्टे खाते में डाल सकते हैं।

निधियों का प्रत्यावर्तन - ऑन-साइट सॉफ्टवेअर करार

सॉफ्टवेअर निर्यातक कंपनी/ फर्म द्वारा प्रत्येक ऑन-साइट करार के संबंध में करार मूल्य के 30 प्रतिशत के प्रत्यावर्तन की आवश्यकता को हटा दिया गया है। किंतु कंपनी को उपर्युक्त करार के पूर्ण होने के बाद ऑन-साइट करार से होने वाले लाभ को प्रत्यावर्तित करना चहिए।

इसके पहले सॉफ्टवेअर निर्यातक कंपनी/ फर्म को प्रत्येक ऑफ-साइट करार की 100 प्रतिशत करार मूल्य की राशि और प्रत्येक ऑन-साइट करार की कम-से-कम 30 प्रतिशत करार मूल्य रशि भारत मे प्रत्यावर्तित करना जरूरी था।

बीजक मूल्य में कमी

प्रधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक अब बीजक मूल्य को 25 प्रतिशत तक कम करने की अनुमति दे सकते हैं। जब माल का पोत में लदान हो जाता है और बाद उन्हें मूल क्रेता द्वारा चूक किए जाने की स्थिति में मूल क्रेता से इतर किसी अन्य क्रेता को हस्तांतरित करना पड़ता है तो ऐसी स्थिति में मूल क्रेता द्वारा चूक होने पर बीजक मूल्य को कम करने के लिए रिज़र्व बैंक की पूर्वानुमति की आवश्यकता नहीं है बशर्ते मूल्य में कमी, यदि कोई हो, 25 प्रतिशत से अधिक न हो तथा निर्यात प्राप्तियों की वसूली में निर्यात की तारीख से 6 महीने से अधिक का समय न लगा हो।

आयात

आयात बिल - समुद्रपारीय आपूर्तिकर्ताओं के संबंध में क्रेडिट रिपोर्ट

अब से, समुद्रपारीय आपूर्तिकर्ताओं, जहां आयात दस्तावेज़ सीधे प्राप्त किए जाते हैं के संबंध में क्रेडिट रिपोर्ट, ऐसे मामलों में प्राप्त करना जरूरी नहीं है जहां (i) बीजक मूल्य 100,000 अमरीकी डॉलर से अधिक नहीं है, (ii) आयातक ग्राहक द्वारा किया जाने वाला लेनदेन और उसका पिछला कार्य निष्पादन रेकार्ड संतोषजनक हो।

सामान्य

व्यापार से संबंधित समय आधार

अब से व्यापार संबंधी सभी लेनदेनों के लिए *वित्तीय वर्ष* (अप्रैल से मार्च) को समय आधार के रूप में माना जाएगा । कैलण्डर/ पिछले वर्ष से वित्तीय वर्ष में समय आधार के परिवर्तन के कारण समय अवधि में हुए बेमेल को कम करने के लिए प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक, मार्च 31, 2007 तक ही, समय आधार को मानें जो उनके ग्राहकों के लिए लाभदायक है।

रिज़र्व बैंक मोनेटरी एण्ड क्रेडिट इन्फ़र्मेशन रिव्यू के स्वामित्व और अन्य ब्यौरों का विवरण

फार्म IV

1.	प्रकाशक का स्थान	:	मुंबई
2.	प्रकाशन की अवधि	:	मासिक
3.	संपादक, प्रकाशक और मुद्रक का नाम राष्ट्रीयता और पता	:	अल्पना किल्लावाला भारतीय भारतीय रिज़र्व बैंक प्रेस संपर्क प्रभाग, केंद्रीय कार्यालय शहीद भगतसिंह मार्ग मुंबई-400001
4.	उन व्यक्तियों के नाम और पते जो पत्र के मालिक हैं	:	भारतीय रिज़र्व बैंक प्रेस संपर्क प्रभाग, केंद्रीय कार्यालय शहीद भगतसिंह मार्ग मुंबई-400001

मैं, अल्पना किल्लावाला, इसके द्वारा घोषणा करती हूँ कि उपर्युक्त विवरण मेरी संपूर्ण जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है।

(ह)

अल्पना किल्लावाला

दिनांक : 1 मार्च 2007 प्रकाशक के हस्ताक्षर

अल्पना किल्लावाला द्वारा **भारतीय रिज़र्व बैंक,** प्रेस संपर्क प्रभाग, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगतसिंह मार्ग, मुंबई 400 001 के लिए संपादित और प्रकाशित तथा **ऑनलुकर प्रेस लि.,** 16, ससून डॉक, कुलाबा, मुंबई - 400 005 में मुद्रित । **ग्राहक नवीकरण तथा पते में परिवर्तन के लिए मुख्य महाप्रबंधक, प्रेस संपर्क प्रभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय भवन, 12वीं मंज़िल, फोर्ट, मुंबई 400 001 को लिखें। कृपया कोई मांग ड्राफ्ट/चेक न भेजें। मोनेटरी एण्ड क्रेडिट इन्फ़र्मेशन रिव्यू इंटरनेट www.mcir.rbi.org.in/hindi पर भी उपलब्ध है।**